राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

क्रमांकः प.10 ( )(निर्वा)(वि.सभा)डीएलबी/21/2781-2994 दिनांकः 8/11/21

आयुक्त/अधिशासी अधिकारी,
समस्त नगर निगम/परिषद/पालिकाए,
राजस्थान ।

विषय :– अर्हता दिनांक 01 जनवरी 2022 के संदर्भ में मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम–वार्ड सभा/आवासीय वेलफेयर सोसायटी की बैठक आयोजित करने के संबंध में ।

....

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज. जयपुर के पत्रांक 5794 दिनांक 25.10.2021 के द्वारा प्रेषित पत्र की छाया प्रति संलग्न भेजकर लेख है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य की विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में दिनांक 01.11.2021 से 30.11.2021 के मध्य मतदाता सूची में तिथि 01.01.22 के क्रम में दावे एवं आपत्तियों प्राप्त करने हेतु कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इस कार्य हेतु जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा निर्धारित तिथी 13.11.2021 (शनिवार) एवं 20.11.2021 (शनिवार) को वार्ड सभा राज्य की नगरीय निकायों एवं आवासीय वैल्फेयर सोसायटी की बैठकें आयोजित कर मतदाता सूचियों का पठन एवं पंजीकरण एवं संशोधन से संबंधित विभिन्न आवेदन पत्र प्राप्त करने का कार्य किया जायेगा ।

अतः उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज. जयपुर एवं संबंधित जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारीयों के द्वारा निर्धारित कार्ययोजना की कियान्विति हेतु आपके क्षेत्र में वार्ड सभाओं/आवासीय वेलफेयर सोसायटी की बैठक में मतदाता सूची का पठन एवं निर्वाचन संबंधी कार्य हेतु समय समय पर जारी दिशा -- निर्देशों की पूर्णरूपेण पालना सुनिश्चित की जावे।

Hलग्न – प.सं. 5724 दि 25/10/21

भवदीय

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

क्रमांकः प.10 ( )(निर्वा)(वि.सभा)डीएलबी/21/2995-3030 दिनांकः 8/11/21

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

01. मुख्य निर्वाचन अधिकारी,राज. जयपुर के पत्रांक 5724 दिनांक 25.10.2021 के संदर्भ में ।
02. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, सचिवालय, जयपुर ।
03. जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, समस्त राज. ।

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

d/shrimal ji/ Letter Court

Scanned by TapScanner